भाग–I

अध्याय–I

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

1. परिचय

1.1 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करता है। ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन पीएसयूज की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2018[1] को समाप्त होने वाले चार वर्षों की अवधि के लिए ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर एवं उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण नीचे दी गयी तालिका–1.1 में दिया गया है।

तालिका–1.1: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर एवं उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टर्नओवर	40235.18	46976.70	54132.11	52291.64
पूर्ववर्ती वर्ष के टर्नओवर के सापेक्ष टर्नओवर में परिवर्तन प्रतिशत में	-	16.76	15.23	-3.40
उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी	1011790	1137210	1250213	1375607
पूर्ववर्ती वर्ष के जीएसडीपी के सापेक्ष जीएसडीपी में परिवर्तन प्रतिशत में	-	12.40	9.94	10.03
टर्नओवर का उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी से प्रतिशत	3.98	4.13	4.33	3.80

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये जीएसडीपी के आँकड़ों एवं ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर के आँकड़ों के आधार पर संकलित।

अपने पूर्ववर्ती वर्ष के टर्नओवर से ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में 2015–16 एवं 2016–17 में वृद्धि हुई लेकिन 2017–18 में कमी हुई। 2015–18 की अवधि के दौरान वृद्धि/कमी (–) 3.40 प्रतिशत एवं 16.76 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में निरन्तर वृद्धि 9.94 प्रतिशत एवं 12.40 प्रतिशत के मध्य दर्ज की गयी। पिछले तीन वर्षों के दौरान जीएसडीपी की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर[2] 6.55 प्रतिशत रही। वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर विभिन्न समय अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी के 10.78 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि के सापेक्ष ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले तीन वर्षों के दौरान 9.13 प्रतिशत की कम वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर्ज की गई। इससे जीएसडीपी में इन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर की भागेदारी वर्ष 2014–15 में 3.98 प्रतिशत से घटकर 2017–18 में 3.80 प्रतिशत हो गई।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का गठन

1.2 उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को व्यवसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यूपीएसईबी) का (जनवरी 2000) पुर्नगठन किया एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) का गठन किया एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति प्राधिकरण (केसा) जोन के वितरण व्यवसाय को यूपीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (केस्को) को हस्तान्तरित किया गया। थर्मल एवं

---

[1] 30 सितम्बर 2018 तक के नवीनतम अन्तिम लेखाओं पर आधारित।

[2] वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर = [{(2017–18 का मूल्य/2014–15 का मूल्य)^(1/3 वर्ष)}–1]*100।

हाइड्रो उत्पादन के कार्यों को मौजूदा पीएसयूज अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीजेवीएनएल) में निहित किया गया। यूपीएसईबी के पारेषण एवं वितरण के कार्यों को नवनिर्मित पीएसयूज अर्थात यूपीपीसीएल एवं केस्को को हस्तान्तरित किया गया एवं यूपीएसईबी की सभी सम्पत्तियों एवं दायित्वों को (₹ 5,594.96 करोड़[3] की पूँजी एवं ₹ 2,709.78 करोड़ के ऋण सहित) इन चार पीएसयूज के बीच में वितरित किया गया। आगे, अगस्त 2003 में यूपीपीसीएल का वितरण व्यवसाय, सहायक कम्पनियों यथा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ (एमवीवीएनएल), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ (पीवीवीएनएल), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी (पूवीवीएनएल) एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा (डीवीवीएनएल) (यूपीपीसीएल की सहायक–डिस्कॉम्स के रूप में जाना जाता है) को हस्तान्तरित किया गया।

आगे, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) जुलाई 2006 में निगमित हुआ। इसके बाद, जीओयूपी ने दिसम्बर 2010 में यूपीपीसीएल से यूपीपीटीसीएल को ट्रान्समिशन गतिविधियों को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (ट्रान्समिशन एवं सम्पत्तियों, दायित्वों सहित सम्बन्धित गतिविधियों के हस्तान्तरण) योजना अधिसूचित किया जो कि अप्रैल 2007 से प्रभावी थी। इस तिथि से, यूपीपीसीएल एवं यूपीपीटीसीएल ने क्रमशः वृहत ऊर्जा के क्रय/विक्रय एवं ट्रान्समिशन कार्य के लिए अलग–अलग संस्था के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, चार पीएसयूज अर्थात यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी[4]) की सहायक कम्पनी (11 अप्रैल 2000 को निगमित), सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (एसपीजीसीएल), यूपीपीसीएल की सहायक कम्पनी (14 फरवरी 2007 को निगमित), जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (जेवीयूएनएल), यूपीआरवीयूएनएल की सहायक कम्पनी (04 सितम्बर 2009 को निगमित), यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (वाईपीजीसीएल), यूपीपीसीएल की एसोसिएट कम्पनी (20 अप्रैल 2010 को निगमित), ऊर्जा के उत्पादन के उद्देश्य के लिये गठित की गयीं।

इसी प्रकार, सर्दन यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड (एसयूपीपीटीसीएल), यूपीपीसीएल की सहायक कम्पनी को ट्रान्समिशन के व्यवसाय को करने के लिये (08 अगस्त 2013 को निगमित), गठित किया गया। इसके अतिरिक्त, एक और कम्पनी, यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड, यूपीआरवीयूएनएल का संयुक्त उपक्रम (16 अक्टूबर 2008 को निगमित) कोयले के निष्कर्षण एवं राज्य ऊर्जा संस्थानों को कोयले की बिक्री के उद्देश्य के लिये गठित की गयी।

इस प्रकार, 31 मार्च 2018 तक राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रम थे। इन 15 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम में, तीन पीएसयूज[5] अकार्यरत थे एवं तीन पीएसयूज[6] ने 2017–18[7] तक कोई व्यवसायिक गतिविधियां शुरू नहीं की थीं।

---

[3] यूपीएसईबी के विभाजन के समय संचित हानि शून्य थी।

[4] औद्योगिक विकास के उद्देश्य के लिये एक गैर–ऊर्जा कम्पनी की स्थापना की गयी।

[5] सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, सदर्न यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड।

[6] जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड एवं यूपीएसआईडीसी पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड।

[7] 30 सितम्बर 2018 तक नवीनतम अन्तिम लेखाओं पर आधारित।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुर्नसंरचना एवं निजीकरण

1.3 अंश क्रय समझौतों के माध्यम से दो पीएसयूज, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ ईस्ट यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को क्रमशः 22 सितम्बर 2011 एवं 16 दिसम्बर 2011 को निजी स्वामित्व के तहत हस्तान्तरित किया गया।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.4 31 मार्च 2018 को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का गतिविधिवार विवरण नीचे तालिका–1.2 में दिया गया है।

तालिका–1.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधिवार निवेश

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		पूँजी	दीर्घकालीन ऋण	कुल
ऊर्जा का उत्पादन	6	11232.29	10493.34	21725.63
ऊर्जा का पारेषण	2	12494.47	10764.46	23258.93
ऊर्जा का वितरण	6[8]	82991.57	55225.45	138217.02
अन्य	1	0.16	1.19	1.35
कुल	**15**	**106718.49**	**76484.44**	**183202.93**

स्रोत : शासनादेशों एवं वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित

ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में 31 मार्च 2018 तक कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 1,83,202.93 करोड़ था। निवेश में पूँजी 58.25 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 41.75 प्रतिशत था।

राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 12.88 प्रतिशत (₹ 9,848.09 करोड़) था जबकि अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया गया ऋण 87.12 प्रतिशत (₹ 66,636.35 करोड़) था। इसके अतिरिक्त, 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान राज्य सरकार ने वित्तीय पुर्नगठन योजना/उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)[9] के अन्तर्गत बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के डिस्कॉम्स पर बकाया ऋणों (₹ 59,205.19 करोड़[10]) में से ₹ 44,403.96 करोड़[11] का अधिग्रहण कर लिया।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.5 उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं पूँजी में परिवर्तित ऋणों के बारे में बजटीय सहायता का सारांश नीचे तालिका–1.3 में दिया गया है।

---

8 यूपीपीसीएल (स्वामित्व धारक कम्पनी) शामिल है।

9 डिस्कॉम्स के वित्तीय एवं प्रचालन परिवर्तन के लिए ऊर्जा मंत्रालय एवं भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी योजना।

10 डिस्कॉम्स के ₹ 59,205.19 करोड़ के कुल ऋण जिसमें 30.09.2015 को ₹ 53,935.06 करोड़ के बकाया ऋण एवं वित्तीय पुर्नगठन योजना (एफआरपी) – 2012 के तहत 2015–16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पहले से ही अधिग्रहीत किये गये ₹ 5,270.19 करोड़ के बॉन्ड शामिल है।

11 इसमें 2015–16 एवं 2016–17 में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत किये गये ₹ 39,133.77 करोड़ एवं वित्तीय पुर्नगठन योजना (एफआरपी) – 2012 के तहत 2015–16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पहले से ही अधिग्रहीत किये गये ₹ 5,270.19 करोड़ शामिल है।

तालिका–1.3: मार्च 2018 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

(₹ करोड़ में)

विवरण[12]	2015-16		2016-17		2017-18	
	पीएसयूज की संख्या[13]	धनराशि	पीएसयूज की संख्या[13]	धनराशि	पीएसयूज की संख्या[13]	धनराशि
पूँजी की जावक (i)	3	19078.43	3	12205.98	4	8234.53
दिये गये ऋण (ii)	1	6083.12	1	3700.32	-	0.00
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	1	22385.92	1	14817.66	2	7593.19
कुल जावक (i+ii+iii)	**3[14]**	**47547.47**	**3[14]**	**30723.96**	**4[14]**	**15827.72**
ऋण पुर्नभुगतान/अपलिखित	-	-	-	-	-	-
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
बकाया गारंटियां	3	35216.59	3	52791.17	3	57912.93
गारंटी प्रतिबद्धता	2	22489.05	2	62518.98	2	31488.20

स्रोतः पीएसयूज से प्राप्त जानकारी, शासनादेशों एवं वार्षिक लेखोओं के आधार पर संकलित।

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी में बजटीय जावक का विवरण नीचे चार्ट–1.1 में दिया गया है।

चार्ट–1.1: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता

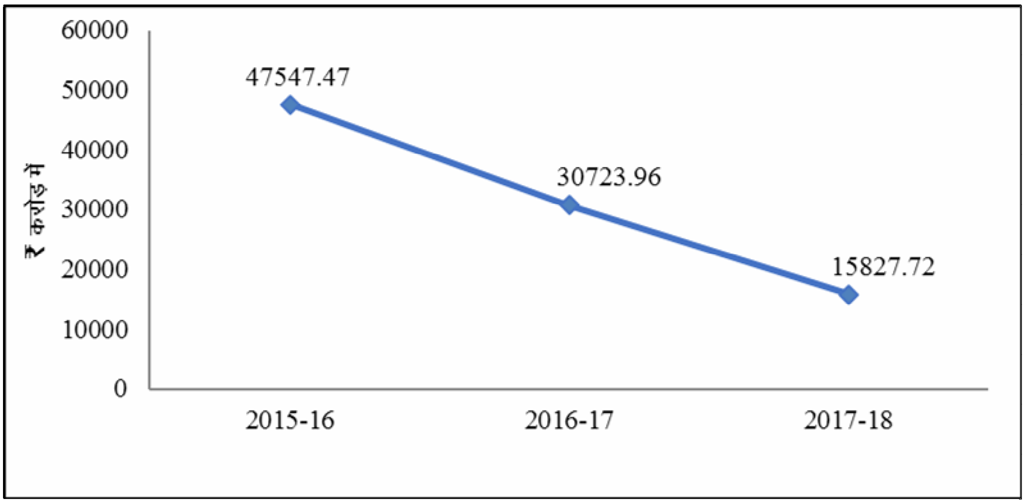

वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान, इन पीएसयूज को वर्ष के दौरान प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 15,827.72 करोड़ एवं ₹ 47,547.47 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त ₹ 15,827.72 करोड़ की बजटीय सहायता में पूँजी एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में क्रमशः ₹ 8,234.53 करोड़ एवं ₹ 7,593.19 करोड़ शामिल थे।

12 यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

13 उ0प्र0 सरकार यूपीपीसीएल एवं यूपीआरवीयूएनएल को उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से सीधे पूँजी देती है। अतः, सरकार के धन के निवेश के उद्देश्य के लिए केवल स्वामित्व धारक वाली कम्पनियों को उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से शामिल किया गया है। शेष दो ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम यूपीपीटीसीएल एवं यूपीजेवीएनएल हैं।

14 यह संख्या ऐसी कम्पनियों की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने राज्य बजट से जावक एक या एक से अधिक मदों में प्राप्त की है यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी।

इसके अलावा, ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के प्रचालन एवं वित्तीय पुनरोत्थान के लिए उदय योजना प्रारम्भ की (20 नवम्बर 2015)। उदय योजना के प्रावधानों एवं पाँच डिस्कॉम्स के द्वारा योजना के क्रियान्वयन के स्थिति की चर्चा इस अध्याय के प्रस्तर–1.20 के अन्तर्गत की गयी है।

बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में पीएसयूज को सक्षम बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) गारंटी प्रदान करती है, जिसके लिए 0.25 प्रतिशत से एक प्रतिशत की दर पर गारंटी कमीशन लिया जाता है जोकि जीओयूपी द्वारा उधारकर्ताओ के आधार पर तय किया गया (15 सितम्बर 2000)। बकाया गारंटी 2017–18 में ₹ 57,912.93 करोड़ थी। पीएसयूज द्वारा 2017–18 के दौरान ₹ 10.14 करोड़ का गारंटी कमीशन का भुगतान किया गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

1.6 राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों से सम्बंधित आँकड़े को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाये गये आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि उक्त आँकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो सम्बंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग को अन्तर का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2018 को इससे सम्बंधित स्थिति, नीचे दिये गये तालिका–1.4 में दर्शित की गयी हैं।

तालिका–1.4: वित्त लेखाओं एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार बकाया पूँजी, ऋण एवं गारंटी

(₹ करोड़ में)

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	पूँजी		अन्तर	ऋण		अन्तर	गारंटियां		अन्तर
	वित्त लेखाओं के अनुसार	पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार		वित्त लेखाओं के अनुसार	पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार		वित्त लेखाओं के अनुसार	पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार	
कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	0.07	0.00	0.07	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	-	-	-	0.00	64.65	64.65	-	-	-
उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	40757.7	47557.65	6799.95
कुल अन्तर			**0.07**			**64.65**			**6799.95**

स्रोत : पीएसयूज एवं वित्त लेखाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित

लेखापरीक्षा ने देखा कि ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में से तीन पीएसयूज के सम्बंध में इस तरह का अन्तर है जो कि उपर्युक्त तालिका में दिखाया गया। यह अन्तर गत कई वर्षों से विद्यमान है। अन्तर के समाधान हेतु इस मुद्दे को पीएसयूज/विभागों के साथ समय–समय पर उठाया गया है। इसलिए हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार एवं सम्बन्धित पीएसयूज को अन्तर का समयबद्ध तरीके से समाधान करना चाहिए।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं के तैयार करने में समयबद्धता

1.7 सीएजी के लेखापरीक्षा के दायरे में 31 मार्च 2018 तक ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रम थे। केवल दो कार्यरत पीएसयूज ने अपने 2017–18 के लेखाओं को 30 सितम्बर 2018 तक प्रस्तुत किया था। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले

तीन वर्षों के प्रत्येक वित वर्ष के 30 सितम्बर को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की प्रस्तुतीकरण में बकाया का विवरण नीचे दी गयी तालिका–1.5 में है।

तालिका–1.5: कार्यरत ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति

क्रं0 सं0	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18
1.	पीएसयूज की संख्या	15	15	15
2.	प्रस्तुतीकरण के लिए लेखाओं की संख्या	42	48	43
3.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये गये लेखाओं की संख्या	9	20	21
4.	पीएसयूज की संख्या जिनके चालू वर्ष के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	0	1	2
5.	पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या जिनके लेखाओं को चालू वर्ष में अन्तिम रूप दिया गया	9	19	19
6.	पीएसयूज की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	15	14	13
7.	बकाया लेखाओं की संख्या	33	28	22
8.	बकाया की सीमा	एक से पाँच वर्ष	एक से तीन वर्ष	एक से चार वर्ष

स्रोतः अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान पीएसयूज के प्राप्त लेखाओं के आधार पर संकलित किया गया।

ऊर्जा क्षेत्र के 15 पीएसयूज में से, 14 पीएसयूज ने 21 वार्षिक लेखाओं को 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान अन्तिम रूप दिया था जिसमें दो वार्षिक लेखे वर्ष 2017–18 के एवं 19 वार्षिक लेखे गतवर्षों के शामिल थे। आगे, 13 पीएसयूज के 22 वार्षिक लेखे बकाया थे।

जीओयूपी ने ऊर्जा क्षेत्र के 13 पीएसयूज जिनके लेखे 30 सितम्बर 2018 तक बकाया थे, में से 8 पीएसयूज में ₹ 45,077.29 करोड़ (पूँजीः ₹ 18,966.12 करोड़, ऋणः ₹ 3,700.32 करोड़, अनुदानः ₹ 9,801.82 करोड़ एवं सब्सिडीः ₹ 12,609.03 करोड़) का निवेश 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान किया था जबकि शेष पाँच पीएसयूज में लेखाओं की बकाया अवधि के दौरान निवेश नहीं किया गया था जिसका विवरण ***परिशिष्ट–1.3*** में दर्शाया गया है।

इन पीएसयूज की गतिविधियों की निगरानी एवं इन पीएसयूज द्वारा लेखाओं के निर्धारित समय में अन्तिम रूप दिये जाने एवं अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशासनिक विभागों पर है। सम्बंधित विभागों को बकाया लेखाओं के सम्बंध में निरन्तर रूप से सूचित किया गया था।

राज्य ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के द्वारा लेखाओं के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव

1.8 लेखाओं के विलम्ब से अन्तिमीकरण से कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन के अतिरिक्त धोखाधड़ी एवं सार्वजनिक धन के रिसाव का भी जोखिम रहता है। उपर्युक्त बकाया की स्थिति की वजह से, इन राज्य ऊर्जा क्षेत्र के 13 पीएसयूज के लेखाओं के बकाया की अवधि में कार्य निष्पादन सहित लाभ/हानि एवं राज्य की जीडीपी में योगदान का आंकलन/राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। लेखाओं के अन्तिमीकरण एवं इनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में इन पीएसयूज में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या किये गये निवेश एवं व्यय सही रूप से लेखांकित किये गये एवं धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए ये राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए थे।

अतः यह अनुशंसा की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए तथा लेखाओं के बकाया की समाप्ति के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिए। सरकार को भी कम्पनी द्वारा लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर ध्यान देना चाहिए तथा बकाया लेखाओं की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.9 30 सितम्बर 2018 तक उनके नवीनतम अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यपरिणाम ***परिशिष्ट–1.1*** में दिये गये हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में 31 मार्च 2018 को राज्य सरकार एवं अन्य के निवेश की राशि ₹ 1,83,202.93 करोड़ थी जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 1,06,718.49 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 76,484.44 करोड़ सम्मिलित थे जिसका विवरण ***परिशिष्ट–1.2*** में दिया गया हैं। इसमें से ऊर्जा क्षेत्र के चार पीएसयूज[15] में उत्तर प्रदेश सरकार का निवेश ₹ 1,16,566.12 करोड़ था जिसमें पूँजी के ₹ 1,06,718.03 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 9,848.09 करोड़ सम्मिलित थे। ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में 2015–16 से 2017–18 तक की अवधि के दौरान पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में जीओयूपी के निवेश की स्थिति नीचे चार्ट–1.2 में दर्शायी गयी है।

चार्ट–1.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में जीओयूपी का कुल निवेश

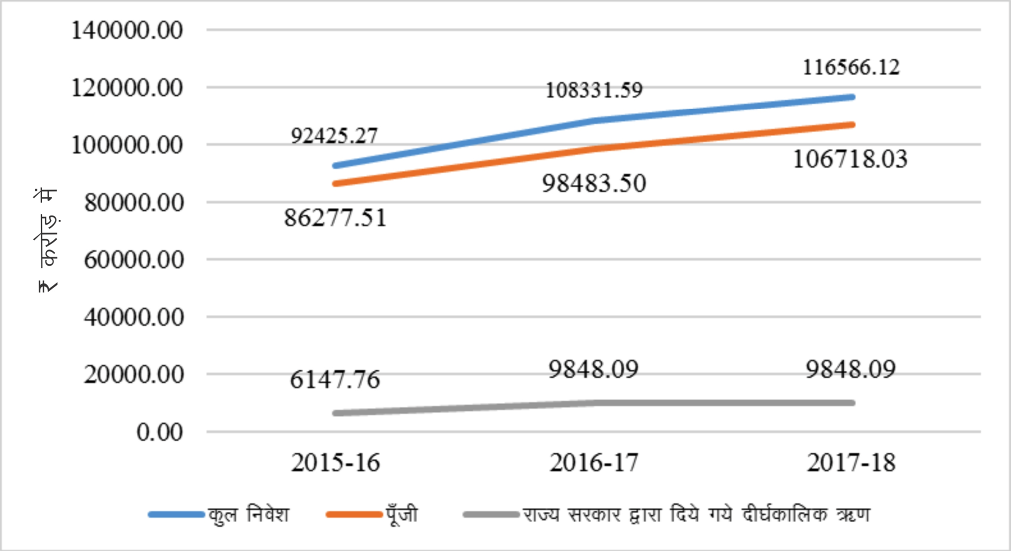

कम्पनी की लाभदायकता पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापी जाती है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में हुई लाभ अथवा हानि को पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि से मापा जाता है एवं लाभ को कुल निवेश के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन का माप है जिसकी गणना करों के पश्चात् के लाभों को शेयर धारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभदायकता एवं उसके पूँजी के उपयोग की

[15] जीओयूपी यूपीपीसीएल एवं यूपीआरवीयूएनएल को उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से सीधे पूँजी देती है। अतः, सरकार के धन के निवेश का उद्देश्य केवल स्वामित्व धारक वाली कम्पनियों का उनकी सहायक कम्पनी की ओर शामिल किया गया है। शेष दो ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम यूपीपीटीसीएल एवं यूपीजेवीएनएल हैं।

दक्षता को मापता है एवं इसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व की आय को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है।

निवेश पर प्रतिफल

1.10 निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से प्रतिशत है। 2015–16 से 2017–18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के सभी पीएसयूज द्वारा हानि[16] की समग्र स्थिति को चार्ट–1.3 में नीचे दर्शाया गया है।

चार्ट–1.3: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाई गई हानि

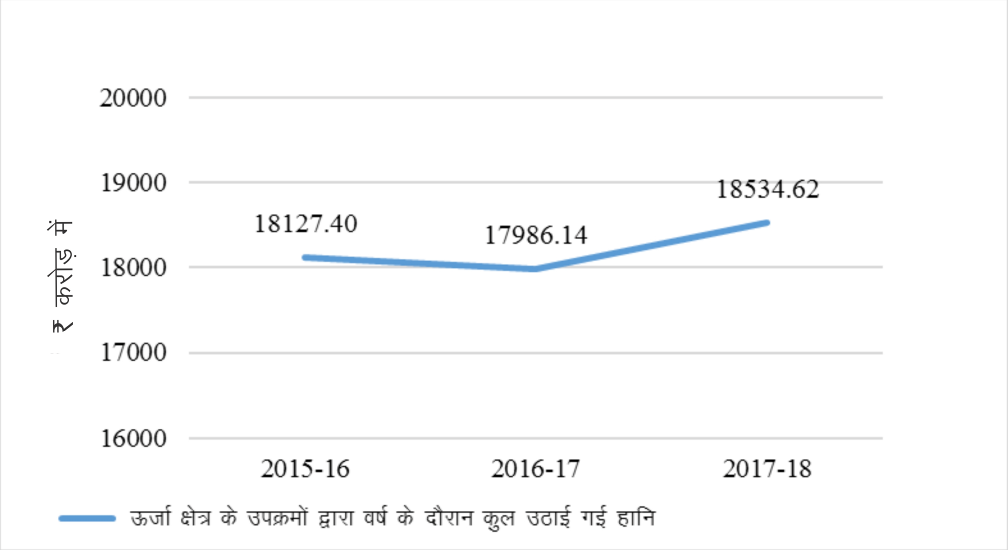

ऊर्जा क्षेत्र के इन 15 पीएसयूज द्वारा 2015–16 में हुई ₹ 18,127.40 करोड़ की हानि के सापेक्ष 2017–18 में ₹ 18,534.62 करोड़ हानि हुई (***परिशिष्ट–1.1***)। पीएसयूज के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं[17] के आधार पर, तीन पीएसयूज ने ₹ 449.01 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 10 पीएसयूज ने ₹ 18,983.63 करोड़ की हानि उठाई एवं दो पीएसयूज में सीमान्त लाभ/हानि[18] था जैसा कि (***परिशिष्ट –1.4***) में विस्तृत है।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों जिसने 2015–16 से 2017–18 के अवधि के दौरान लाभ अर्जित/ हानि उठाई की स्थिति का विवरण नीचे तालिका–1.6 में दिया गया है।

तालिका–1.6: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि

वित्तीय वर्ष के दौरान	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज की कुल संख्या	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान हानि उठाने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान सीमान्त लाभ/हानि अर्जित करने वाले पीएसयूज की संख्या
2015-16	15	2	9	4
2016-17	15	2	10	3
2017-18	15	3	10	2

[16] 30 सितम्बर 2018 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर आँकड़े।
[17] 30 सितम्बर 2018 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित।
[18] ₹ 1 लाख से कम को सीमान्त लाभ/हानि माना गया है।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल

1.11 सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की सभी कम्पनियों में महत्वपूर्ण निवेश को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के दृष्टिकोण से इस निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। जीओयूपी द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में निवेशित धनराशि पर वास्तविक रिटर्न पर पहुंचने के लिए, निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) निकालने के बाद निवेश पर प्रतिफल की गणना की गयी है। राज्य सरकार के निवेश पर, तत्कालीन विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन (2000–2001) के बाद से 31 मार्च 2018 तक ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तिमीकृत बैलेंस शीट से राज्य सरकार द्वारा पूँजी, ब्याज मुक्त/डिफ़ॉल्टेड दीर्घावधि ऋण एवं पूँजीगत अनुदान के रूप निवेशित धनराशि पर पीवी की गणना की गयी।

राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित धनराशि पर वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्न धारणाओं के आधार पर की गई है।

- ब्याज मुक्त/डिफ़ॉल्टेड दीर्घावधि ऋण एवं पूँजीगत अनुदान को राज्य सरकार द्वारा किये गये धन का निवेश माना गया है। आगे, उन प्रकरणों में जिनमें पीएसयूज को दिया गया ब्याज मुक्त ऋण बाद में पूँजी में परिवर्तित किया गया है, पूँजी में परिवर्तित ऋण का मूल्य ब्याज मुक्त ऋण के मूल्य में से घटाकर उस वर्ष की पूँजी में जोड़ा गया है। राजस्व अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्राप्त किये गये धन को निवेश नहीं माना गया है। हालाँकि, उदय योजना के तहत प्राप्त किये गये अनुदान के प्रभाव को अलग से दिखाया गया है।

- सम्बंधित वित्तीय वर्ष[19] के लिए वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को छूट दर के रूप में अपनाया गया है क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये धन पर सरकार द्वारा वहन की गयी लागत को दर्शाता है।

2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान जब 9 से 10 पीएसयूज ने हानियाँ उठायीं, हानि के कारण निवल मूल्य का क्षरण निष्पादन का अधिक उपयुक्त माप है। पीएसयूज के निवल मूल्य के क्षरण पर **प्रस्तर 1.13** में टिप्पणी की गयी है।

1.12 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा पूँजी ब्याज मुक्त/डिफ़ॉल्टेड दीर्घावधि ऋण एवं पूँजीगत अनुदान के रूप में धन के निवेश की स्थिति ***परिशिष्ट–1.5*** में इन पीएसयूज के प्रारम्भ से 31 मार्च 2018 तक इंगित की गयी है। वर्ष 2000–2001 से 31 मार्च 2018 तक उनके सम्बंध में राज्य सरकार के निवेश की पीवी की समेकित स्थिति को नीचे तालिका–1.7 में इंगित किया गया है।

---

[19] सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर सम्बंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (उत्तर प्रदेश सरकार) पर भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन से लिया गया है, जिसमें दिये ब्याज के औसत दर की गणना = ब्याज भुगतान/{(गत वर्ष की राजकोषीय देनदारियाँ + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देनदारियाँ)/2} * 100।

तालिका–1.7: 2000–2001 से 2017–2018 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी धनराशि एवं सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार ब्योरा

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी पूँजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ब्याज मुक्त/डिफ़ॉल्टेड दीर्घावधि ऋण एवं पूँजीगत अनुदान का योग	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अन्त में कुल निवेश	वर्ष के अन्त में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिये धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	आय व्यय विवरण के आधार पर वर्ष के कुल अर्जन
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v=iii+iv**	**vi**	**vii=ii+v**	**viii=vii*(1+vi/100)**	**ix=vii*vi/100**	**x**
2000-01 तक		6336.47	1842.26	8178.73	9.58	8178.73	8962.25	783.52	
2001-02	8962.25	315.03	377.96	692.99	9.49	9655.24	10571.52	916.28	-1562.66
2002-03	10571.52	225.90	432.97	658.87	7.22	11230.39	12041.23	810.83	-1453.67
2003-04	12041.23	6051.30	-1532.61	4518.69	9.13	16559.92	18071.84	1511.92	-1420.28
2004-05	18071.84	906.80	381.33	1288.13	9.47	19359.97	21193.36	1833.39	-2404.25
2005-06	21193.36	794.60	157.73	952.33	6.49	22145.69	23582.94	1437.26	-3146.92
2006-07	23582.94	3113.53	25.00	3138.53	6.74	26721.47	28522.50	1801.03	-4288.59
2007-08	28522.50	7260.25	99.48	7359.73	6.43	35882.23	38189.46	2307.23	-7931.01
2008-09	38189.46	6222.34	315.94	6538.28	6.29	44727.74	47541.11	2813.37	-10585.24
2009-10	47541.11	5322.37	0.00	5322.37	6.16	52863.48	56119.87	3256.39	-8916.25
2010-11	56119.87	4383.52	-100.00	4283.52	6.67	60403.39	64432.30	4028.91	-8682.32
2011-12	64432.30	4314.36	-219.09	4095.27	6.62	68527.57	73064.10	4536.53	-11914.56
2012-13	73064.10	3825.53	17.00	3842.53	6.73	76906.63	82082.44	5175.82	-13151.15
2013-14	82082.44	6580.95	-352.48	6228.47	6.43	88310.91	93989.30	5678.39	-17719.95
2014-15	93989.30	11546.16	-16.69	11529.47	6.40	105518.77	112271.98	6753.20	-19110.96
2015-16	112271.98	19078.43	6083.12	25161.55	6.35	137433.53	146160.55	8727.03	-18127.40
2016-17	146160.55	12205.97	3775.32	15981.29	6.82	162141.84	173199.92	11058.07	-17986.14
2017-18	173199.92	8234.52	83.40	8317.92	6.54	181517.84	193389.10	11871.27	-18534.62
कुल		**106718.03**	**11370.64**	**118088.67**					

राज्य सरकार द्वारा इन 15 पीएसयूज में निवेशित धनराशि का वर्ष के अन्त में अधिशेष वर्ष 2000–2001 के ₹ 8,178.73 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017–18 में ₹ 1,18,088.67 करोड़ हो गया क्योंकि आगे राज्य सरकार ने पूँजी (₹ 1,00,381.56 करोड़) एवं ब्याज मुक्त/डिफ़ॉल्टेड दीर्घावधि ऋण एवं पूँजीगत अनुदान (₹ 9,528.38 करोड़) के रूप में धनराशि निवेश किया। राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी धनराशि की पीवी 31 मार्च 2018 को ₹ 1,93,389.10 करोड़ आती है।

यह देखा जा सकता है कि 2001–2002 से 2017–18 के अवधि के दौरान इन पीएसयूज से सम्बंधित वर्ष की कुल आय ऋणात्मक रही जो कि यह दर्शाता है कि ये पीएसयूज सरकार के धन की लागत को भी नहीं वसूल कर पाये।

यदि डिफ़ॉल्टेड ब्याज सहित ऋण (आई बी एल) को निवेश के रूप में नहीं माना जाता है, राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अन्त में इन पीएसयूज में निवेशित धनराशि का अधिशेष वर्ष 2000–2001 तक ₹ 6,367.04 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2017–18 में ₹ 1,18,027.57 करोड़ होगा। क्योंकि आगे 2001–2002 से 2017–18 के अवधि के दौरान राज्य सरकार ने पूँजी (₹ 1,00,381.56 करोड़) एवं ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण/पूँजीगत अनुदान (₹ 11,278.97 करोड़) के रूप में निवेश किया। राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी धनराशि की पीवी 31 मार्च 2018 को ₹ 1,90,696.62 होगी (*परिशिष्ट–1.6*)।

इसके अलावा, सरकार ने उदय योजना के अन्तर्गत बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के डिस्कॉम्स पर ऋणों को अधिग्रहीत करने के लिए डिस्कॉम्स को 2015–16 में ₹ 12,166.24 करोड़ एवं 2016–17 में ₹ 7,400.64 करोड़ का अनुदान दिया है। यदि हम इस अनुदान को राज्य सरकार के निवेश के रूप में मानते हैं, तो निवेश पर प्रतिफल और कम हो जाएगा।

निवल मूल्य का क्षरण

1.13 प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचयों एवं अधिशेष के कुल योग में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर निवल मूल्य आता है। वास्तव में यह माप है कि एक उपक्रम स्वामियों के लिए कितना मूल्यवान है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है।

31 मार्च 2018 को 15 पीएसयूज की संचित हानियाँ ₹ 1,33,638.98 करोड़ थी। 15 पीएसयूज में से, 10 पीएसयूज ने 2017–18 में ₹ 18,983.63 करोड़ की हानियाँ उठाई। इसके अलावा, तीन पीएसयूज ने 2017–18 में हानियाँ नहीं उठाई थी, यद्यपि इनमें से, दो पीएसयूज की संचित हानियाँ ₹ 3,181.73 करोड़ थी एवं एक पीएसयू का संचित लाभ ₹ 1,049.92 करोड़ था। इसके अलावा, 15 में से शेष दो पीएसयूज को वर्ष 2017–18 के दौरान सीमान्त लाभ/हानि हुई।

15 पीएसयूज में से 11 का निवल मूल्य संचित हानियों के कारण पूरी तरह से लुप्त हो गया एवं उनका निवल मूल्य ऋणात्मक था। 31 मार्च 2018 तक इन 11 पीएसयूज में पूँजी निवेश के ₹ 72,834.76 करोड़ के सापेक्ष निवल मूल्य ₹–60,616.92 करोड़ था। हालाँकि, 11 पीएसयूज में से जिनका निवल मूल्य लुप्त हो गया था, एक पीएसयू अर्थात केस्को ने वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 319.55 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। (*परिशिष्ट 1.1*)

चार[20] पीएसयूज जिनका निवल मूल्य 31 मार्च 2018 को धनात्मक था, जो उनकी संभावित वित्तीय रुग्णता का संकेत है, में से एक[21] का निवल मूल्य उसके प्रदत्त पूँजी के आधे से भी कम था।

ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों के 30 सितम्बर 2018 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान (जीओयूपी द्वारा धन का निवेश[22] जहाँ किया गया हो) प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ /हानियाँ एवं निवल मूल्य निम्नांकित तालिका–1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका–1.8: 2015–16 से 2017–18 के अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष के दौरान	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अन्त में संचित हानियाँ	स्थगित राजस्व व्यय[23]	निवल मूल्य
2015-16	83883.82	131389.90	35.18	-47541.26
2016-17	93470.81	133768.43	35.18	-40332.80
2017-18	94157.20	133638.98	35.18	-39516.96

---

[20] यूपीपीटीसीएल, यूपीआरवीयूएनएल, जेवीयूएनएल एवं यूपीजेवीएनएल।

[21] यूपीजेवीएनएल।

[22] सहायक कम्पनियों (परिशिष्ट–1.1 के क्रम सं0 3 से 7 एवं 9 से 14) के संदर्भ में पूँजी उनकी सम्बन्धित स्वामित्व धारक कम्पनियों द्वारा निवेश की गयी थी।

[23] यह केवल यूपीपीटीसीएल से सम्बंधित है एवं उनका नवीनतम अंतिम लेखा वित्त वर्ष 2015–16 का हैं। इसलिए, 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ₹ 35.18 करोड़ की समान संख्या ली गयी है।

लाभांश का भुगतान

1.14 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की (अक्टूबर 2002) जिसके अन्तर्गत लाभ अर्जन करने वाले पीएसयूज को राज्य सरकार द्वारा किये गये अंशपूँजी निवेश पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत का लाभांश भुगतान करना होता है।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित लाभांश भुगतान जहाँ अवधि के दौरान जीओयूपी द्वारा धन का निवेश किया गया था, नीचे तालिका 1.9 में दिखाया गया है।

तालिका–1.9: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान लाभांश भुगतान

वर्ष के दौरान	कुल पीएसयूज जहाँ जीओयूपी द्वारा पूँजी का निवेश किया गया		वर्ष के दौरान लाभ में रहने वाले पीएसयूज		वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा करने/भुगतान करने वाले पीएसयूज		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में)
	पीएसयूज की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा लाभांश की घोषणा /भुगतान (₹ करोड़ में)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 (कॉलम 7/ कॉलम 5*100)**
2015-16	4	86277.51	1	9322.40	-	-	-
2016-17	4	98483.50	1	10110.40	-	-	-
2017-18	4	106718.03	1	10796.79	-	-	-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने 2017–18 में ₹ 128.95 करोड़ का लाभ एवं 31 मार्च 2018 तक ₹ 1,049.92 करोड़ का संचित लाभ अर्जित किया। लेकिन, कम्पनी ने न तो सरकार को लाभांश दिया एवं न ही लेखाओं में उसके लिए कोई प्रावधान किया जो कि न्यूनतम लाभांश भुगतान से सम्बन्धित राज्य सरकार के नीति के विरूद्ध है।

पूँजी पर प्रतिफल

1.15 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)[24] कम्पनी के वित्तीय निष्पादन का माप है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात करों के पश्चात् शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी कम्पनी के लिए की जा सकती है यदि शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्याएं हैं।

आरओई की गणना ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में की गयी है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा सीधे अथवा धारक वाली कम्पनियों (यूपीपीसीएल, यूपीआरवीयूएनएल एवं यूपीएसआईडीसी अपनी सहायक कम्पनियों की स्थिति में) के माध्यम से धन का निवेश किया गया है। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के लिए ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में शेयरधारकों की निधि एवं आरओई का विवरण नीचे तालिका–1.10 में दर्शाया गया है।

[24] पूँजी पर प्रतिफल = (करों एवं अधिमान्य लाभांश के पश्चात् शुद्ध आय ÷ पूँजी)* 100 जहाँ पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय – संचित हानियाँ– स्थगित राजस्व व्यय।

तालिका–1.10: ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों के पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	वर्ष के लिए शुद्ध आय/कुल अर्जन[25] (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
2015-16	-18127.40	-47541.26	-
2016-17	-17986.14	-40332.80	-
2017-18	-18534.62	-39,516.96	-

स्रोत : सम्बंधित वर्षों के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर आँकड़े संकलित ।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दृष्टिगत होता है कि, मार्च 2018 को समाप्त गत तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण अवधि में शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक थी। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक होने के कारण आरओई की गणना नहीं की जा सकी जो कि यह इंगित करता है कि इन पीएसयूज के दायित्व सम्पत्ति से अधिक है एवं अंशपूँजी पर प्रतिफल देने के स्थान पर, संचित हानियों ने सम्पूर्ण अंशपूँजी को समाप्त कर दिया।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.16 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता एवं इसके पूँजी के नियोजन की दक्षता को मापता है।

किसी कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के आय (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[26] द्वारा विभाजित करके आरओसीई की गणना की जाती है। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों के आरओसीई का विवरण नीचे दी गयी तालिका–1.11 में दिया गया है।

तालिका–1.11: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष के दौरान	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत)
2015-16	-10994.77	-10154.38	-
2016-17	-14909.94	18042.73	-82.64
2017-18	-15382.30	19064.81	-80.68

स्रोत : 30 सितम्बर 2018 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर आँकड़े संकलित किये।

2016–17 से 2017–18 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की आरओसीई –80.68 प्रतिशत से –82.64 प्रतिशत की सीमा के मध्य रही। इसके अलावा, 2015–16 के दौरान आरओसीई ऋणात्मक एवं अव्यवहार्य थी क्योंकि ईबीआईटी एवं नियोजित पूँजी दोनों ऋणात्मक थी।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

1.17 2015–16 से 2017–18 के दौरान कम्पनियों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण किया गया जिससे कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के ऋणों के भुगतान करने के लिए कम्पनियों की क्षमता का मूल्यांकन हो सके। इसका मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

1.18 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व के आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से

---

[25] सम्बंधित वर्षों के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर आँकड़े।

[26] नियोजित पूँजी =प्रदत्त अंशपूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण – संचित हानियाँ – स्थगित राजस्व व्यय। आँकड़े पीएसयूज के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर हैं।

विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होता है, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होती है। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी अपने ब्याज पर व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर पा रही है। पीएसयूज के ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण, जिसमें 2015–16 से 2017–18 के अवधि के दौरान बकाया ऋण थे, तालिका–1.12 में दिया गया है।

तालिका–1.12: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज जिनमें दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज की देयता है, का ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष के दौरान	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋणों पर ब्याज की देयता थी	पीएसयूज की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था	पीएसयूज की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था
2015-16	7132.63	4451.41	8	2	6
2016-17	3076.20	536.48	8	2	6
2017-18	3152.32	63.61	8	2	6

यह देखा गया कि आठ पीएसयूज जिनमें 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ब्याज सहित ऋण की देयता थी, दो पीएसयूज[27] में एक से अधिक का ब्याज व्याप्ति अनुपात था, जबकि शेष छः पीएसयूज में ऋणात्मक/एक से कम का ब्याज अनुपात था। यह इंगित करता है कि ये पीएसयूज इस अवधि में ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके ।

राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु वार विश्लेषण

1.19 31 मार्च 2018 को एक पीएसयू में जीओयूपी द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 204.18 करोड़ के ब्याज का बकाया था। बकाया ब्याज का आयु वार विश्लेषण नीचे तालिका 1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका : 1.13 राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु वार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

पीएसयू का नाम	ऋणों पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम समय के लिए बकाया	एक से तीन वर्ष के लिए बकाया	तीन से अधिक वर्षों के लिए बकाया
यूपी जल विद्युत निगम लिमिटेड	204.18	10.60	21.19	172.39

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता

1.20 ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के संचालन एवं वित्तीय पुर्नुत्थान के लिए उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय योजना) प्रारम्भ की (20 नवम्बर 2015)। उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम्स के संचालन एवं वित्तीय पुर्नुत्थान के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे।

संचालन क्षमता में उन्नति के लिए योजना

1.20.1 प्रतिभागी राज्यों को विभिन्न लक्षित गतिविधियां जैसे फीडर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (डीटी) की अनिवार्य मीटरिंग, उपभोक्ता अनुक्रमण एवं हानियों की जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफार्मर या मीटरों को उन्नयन या बदलना, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से माँग पक्ष का प्रबन्धन (डीएसएम), दरों का तिमाही पुनरीक्षण,

[27] केस्को एवं यूपीआरवीयूएनएल।

बिजली की चोरी रोकने के लिए व्यापक संसूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आईईसी) अभियान, उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि का आश्वासन जहाँ संचालन क्षमता में सुधार के लिए एटीएण्डसी घाटे को कम किया गया है आदि करने की आवश्यकता थी। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयावधि का भी पालन किया जाना आवश्यक था ताकि लक्षित लाभ की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके जैसे कि फीडर एवं डीटी स्तर पर हानियों को चिन्हित करने की क्षमता, हानि वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी हानियों एवं कटौतियों को कम करना, विद्युत की चोरी को कम करना एवं चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, उच्चतम लोड एवं ऊर्जा के उपभोग को कम करना आदि। संकेतकों के माध्यम से परिचालन सुधारों के परिणामों को मापा जाना था जैसे कि औसत आपूर्ति लागत एवं औसत राजस्व वसूली के बीच के अन्तर में कमी करके 2018–19 तक शून्य करना, एमओपी एवं राज्यों द्वारा अंतिम रूप दिए गए हानि न्यूनन प्रक्षेपपथ के अनुसार एटीएण्डसी हानि को वर्ष 2018–19 में 15 प्रतिशत तक कम करना, इसके अतिरिक्त एमओपी, भारत सरकार, जीओयूपी एवं यूपीपीसीएल के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन निष्पादित हुआ (30 जनवरी 2016) जिसमें एटीएण्डसी हानियों को वित्तीय वर्ष 2018–19 तक कम करते हुये 19.36 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

वित्तीय पुर्नुत्थान के लिए योजना

1.20.2 प्रतिभागी राज्यों को 30 सितम्बर 2015 तक के डिस्कॉम्स के ऋण के 75 प्रतिशत का अधिग्रहण दो वर्षों में करने की आवश्यकता थी अर्थात 2015–16 में 50 प्रतिशत एवं 2016–17 में 25 प्रतिशत। वित्तीय पुर्नुत्थान के लिए योजना में अन्य बातों के साथ प्रावधान था कि:

- राज्य "गैर वैधानिक तरलता अनुपात (गैर एसएलआर) ऋणपत्र" जारी करेगा एवं ऐसे ऋणपत्रों के जारी होने से प्राप्त होने वाली आय को डिस्कॉम्स में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा जिससे वे बैंकों/वित्तीय संस्थानों के ऋण की राशि का निस्तारण करेंगे। जारी किए गए ऋणपत्रों की 10–15 वर्ष की परिपक्वता अवधि होगी, जिसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर 5 वर्षों तक स्थागन अवधि होगी।

- डिस्कॉम्स के ऋण पहले देय ऋणों की प्राथमिकता में अधिग्रहित किये जायेंगे, इसके बाद उच्च लागत वाले ऋणों का अधिग्रहण किया जाएगा।

- 2015–16 एवं 2016–17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम्स को हस्तान्तरण, एक अनुदान के रूप में होगा जो कि डिस्कॉम को राज्य ऋण के माध्यम से शेष हस्तान्तरण के साथ तीन वर्षों तक विस्तारित किया जा सकता है। असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान पूँजी के रूप में दिया जा सकता है।

उदय योजना का कार्यान्वयन

1.20.3 उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है।

अ. परिचालन मापदंडों की उपलब्धि

उदय योजना के तहत राज्य के पाँच डिस्कॉम्स से सम्बन्धित विभिन्न परिचालन मापदंडों के तहत लक्ष्य एवं उपलब्धियां तालिका–1.14 में दी गयी हैं।

तालिका–1.14: मार्च 2019 तक संचालन निष्पादन विषयक मापदण्डवार उपलब्धियां एवं लक्ष्य

उदय योजना का मापदण्ड	उदय स्कीम के तहत लक्ष्य	उदय स्कीम के तहत स्थिति	उपलब्धि (प्रतिशत में)
फीडर मीटरिंग (संख्या में)	16072	19238	119.70
वितरण ट्रांसफार्मर्स की मीटरिंग (संख्या में)	382460	111959	29.27
फीडर पृथक्कीकरण (संख्या में)	10564	1751	16.58

उदय योजना का मापदण्ड	उदय स्कीम के तहत लक्ष्य	उदय स्कीम के तहत स्थिति	उपलब्धि (प्रतिशत में)
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	9722	19322	198.75
असंयोजित परिवार को विद्युत (संख्या लाख में)	184.56	64.90	35.16
200 से ऊपर और 500 केडब्लूएच तक की स्मार्ट मीटरिंग (संख्या लाख में)	9.37	1.22	13.02
एलईडी उजाला का वितरण (संख्या लाख में)	264.53	266.11	100.60
एटीएण्डसी हानिया (प्रतिशत में)	19.36	24.64	लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ
एसीएस – एआरआर में अन्तर (₹ प्रति यूनिट)	0.22	0.22	100.00
सब्सिडी सहित शुद्ध आय अथवा लाभ/ हानि (₹ करोड़ में)	-2613.70	-2575.87	100.00

स्रोतः पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना।

उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि डिस्कॉम्स के प्रदर्शन, वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटरिंग, फीडर पृथक्कीकरण, असंयोजित परिवार को विद्युत, स्मार्ट मीटरिंग एवं ए टी एंड सी हानियों के क्षेत्रों में संतोषजनक नहीं थे। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, उदय योजना के तहत 30 जून 2019 तक राज्य डिस्कॉम्स द्वारा की गई समग्र उपलब्धियों के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य सभी राज्यों में सातवें स्थान[28] पर रहा।

ब. *वित्तीय पुर्नुत्थान का कार्यान्वयन*

1.20.4 एमओपी, जीओयूपी एवं डिस्काम्स की ओर से यूपीपीसीएल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए (30 जनवरी 2016)। उदय योजना एवं एमओयू के प्रावधानों के आधार पर, डिस्काम्स के 30 सितंबर 2015 को कुल बकाया ऋण (₹ 53,935.06 करोड़) में से, जीओयूपी ने ₹ 9,783.44 करोड़ की पूँजी, ₹ 19,566.88 करोड़ के अनुदान एवं ₹ 9,783.44 करोड़ के ऋण को उपलब्ध कराते हुये ₹ 39,133.76 करोड़ के कुल ऋण का 2015–16 एवं 2016–17 की अवधि के दौरान अधिग्रहण किया, जैसा कि नीचे दी गयी तालिका 1.15 में उल्लेख किया गया।

तालिका–1.15: उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूँजी निवेश	अनुदान	ऋण	कुल
2015-16	6083.12	12166.24	6083.12	24332.48
2016-17	3700.32	7400.64	3700.32	14801.28
कुल	**9783.44**	**19566.88**	**9783.44**	**39133.76**

स्रोतः पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना।

इसके अलावा, जीओपी ने भविष्य के वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 409.93 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1.21 ऊर्जा क्षेत्र के 14 उपक्रमों[29] ने 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 के दौरान अपने 21 लेखापरीक्षित लेखाओं को महालेखाकार को प्रस्तुत किया। इनमें से 18 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। सीएजी द्वारा सम्पादित की गयी अनुपूरक लेखापरीक्षा एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा

---

[28] 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के लिए उदय की वेबसाइट पर दर्शायी गयी राज्यों की नवीनतम तिमाही रैंकिंग के अनुसार।

[29] एक पीएसयू अर्थात यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड ने 2013–14 के बाद अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं।

प्रतिवेदनों से इंगित हुआ कि लेखाओं की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। 2015–18 के लेखाओं के लिए, सीएजी एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के कुल मूल्य का विवरण तालिका 1.16 में दिया गया है।

तालिका–1.16: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का प्रभाव

क्रम संख्या	विवरण	2015–16		2016–17		2017–18	
		लेखाओं की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	2	3.02	2	4.21	1	3.99
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	-	-	5	292.89	4	956.51
4.	हानि में कमी	-	-	2	13.37	1	2.97
5.	सारवान तथ्यों का अप्रकटीकरण	2	45.33	2	693.34	3	9.65
6.	वर्गीकरण की त्रुटियां	1	10.67	6	256.52	4	37.47

स्रोतः सरकारी पीएसयूज के सम्बंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2017–18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन[30] लेखाओं पर क्वालीफाइड राय जारी की थी। पीएसयूज द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन ठीक नहीं रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन लेखाओं में लेखा मानकों का अनुपालन न करने के 15 दृष्टान्त दिये।

"यूपीपीटीसीएल द्वारा नए उपकेन्द्रों का निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि" की लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

1.22 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के भाग–I के लिए, "उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नए उपकेन्द्रों का निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि" की लेखापरीक्षा एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित चार अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को ऊर्जा विभाग, जीओयूपी के प्रमुख सचिव, को दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किया गया था। "उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नए उपकेन्द्रों का निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि" की लेखापरीक्षा एवं तीन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं एवं इन्हें इस प्रतिवेदन के आगामी अध्याय–II और अध्याय–III के सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों/प्रस्तरों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। ₹ 13.26 करोड़ के मूल्य के चार अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों में से, ₹ 10 करोड़ की वसूली की गयी। "उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नए उपकेन्द्रों का निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि" की लेखापरीक्षा का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 549.42 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपालन कार्यवाही

अप्राप्त उत्तर

1.23 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता हैं। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित और समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त की जाये। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के निर्धारित प्रारुपों में उत्तर/व्याख्यात्क टिप्पणियों को इन प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से दो से तीन माह की अवधि में, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किए बिना, प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये थे (जून 1987)। अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति नीचे तालिका 1.17 में दी गई है।

---

[30] एमवीवीएनएल 2014–15, यूपीजेवीएनएल 2014–15 एवं यूपीपीसीएल 2014–15

तालिका–1.17: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियां (30 सितम्बर 2019 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक/ पीएसयूज) का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीएज) एवं प्रस्तर		पीएज/प्रस्तरों की संख्या जिन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई	
		पीए	प्रस्तर	पीए	प्रस्तर
2011–12	16 सितंबर 2013	1	8	1	2
2012–13	20 जून 2014	0	8	0	1
2013–14	17 अगस्त 2015	1	6	1	3
2014–15	8 मार्च 2016	4	8	0	4
2015–16	18 मई 2017	2	5	1	1
2016–17	7 फरवरी 2019	1	4	1	4
कुल		**9**	**39**	**4**	**15**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि, ऊर्जा विभाग के सम्बंध में 39 प्रस्तरों एवं 9 निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से, 15 प्रस्तरों एवं चार निष्पादन लेखपरीक्षाओं की व्याख्यात्मक टिप्पणियां, अभी प्रतीक्षित हैं (सितंबर 2019)।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.24 30 सितंबर 2019 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक/पीएसयूज) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों पर कोपू द्वारा 30 सितंबर 2019 तक पूर्ण की गयी चर्चा की स्थिति नीचे तालिका 1.18 में दी गई है।

तालिका–1.18 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 30 सितंबर 2019 तक चर्चा किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाएँ/प्रस्तर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षा (पीएज)/प्रस्तर			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित		चर्चा किये गये पीएज एवं प्रस्तर	
	पीएज	प्रस्तर	पीएज	प्रस्तर
1982-83 से 2010-11	62	439	25	210
2011-12	1	8	0	3
2012-13	0	8	0	2
2013-14	1	6	0	1
2014-15	4	8	1	3
2015-16	2	5	0	2
2016-17	1	4	0	0
कुल	**71**	**478**	**26**	**221**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के प्रतिवेदन का अनुपालन

1.25 कोपू की आन्तरिक कार्य नियमावली में प्रधान महालेखाकार द्वारा कार्यान्वयन आख्या (एटीएन) के पुनरीक्षण हेतु प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, कोपू की संस्तुतियों पर एटीएन को, केवल कोपू द्वारा एटीएन की चर्चा के समय विभागों द्वारा प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए, एटीएन की स्थिति पर यहां चर्चा नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली

1.26 लेखापरीक्षा के दौरान, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 17 मामलों में इंगित की गयी ₹ 55.14 करोड़ की वसूलियों को स्वीकार किया गया था। इसके सापेक्ष, तालिका 1.19 में दिए गए विवरण के अनुसार 16 मामलों में ₹ 31.73 करोड़ की वसूली, 1 अप्रैल 2017 से 30 अप्रैल 2019 के दौरान की गयी।

तालिका–1.19: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गयी वसूलियाँ एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्वीकृत/वसूल की गयी

विभाग	वसूलियों का विवरण	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गयी एवं विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2019 के दौरान स्वीकार की गयी वसूलियाँ		1 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2019 के दौरान की गयी वसूलियाँ	
		मामलों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)
ऊर्जा विभाग	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	4	7.21	4	7.21
	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	5	3.43	5	3.46
	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2	7.61	2	7.61
	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2	0.57	2	0.50
	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	4	36.32	3	12.95
कुल		**17**	**55.14**	**16**	**31.73**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना